### श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

### न्यायालय, रूपनगढ जिला अजमेर

अपीलान्ट – संतोष देवी पिल रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी मकराना तहसील गकराना जिला– डीडवाना–कुचामन राजस्थान

#### वनाम

रेस्पोडेन्टान-

- 1- सरपंच , ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 2- ग्राग विकास अधिकारी ग्राग पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 3- तहसीलदार साहब, रूपनगढ जिला अजमेर
- 4- नायव तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजगेर
- 5- पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ जिला अजगेर
- 6- चन्दादेवी पुत्री कन्हेंयालाल पिला विष्णु जाति ब्राहमण निवासी बडी खाटू तहसील डेगाना जिला- नागौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एवट वनाराजगी सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगढ द्वारा नामान्तरकरण संo 7144 दिनांक 20-07-2023में पारित आदेश के विरूद्व व स्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर जी,

अपीलान्ट की ओर से निम्नवत अपील पेश हैं --

 यह है कि वाके ग्राम रूपनगढ जिला अजभेर की राजस्व सीमा में रिधत खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 रकवा 1.6988 हेक्टर रिधत है। जिसमें जिरेये विसयत अपीलिन्ट का 1/6 हिस्सा आया हुआ है।

- 2. यह है कि पेरा नंबर 1 में अकित आराजी अपीलान्ट का दिनांकि 27-01-2019 को निरूष्पादित विसयत नामा जो विसयतकर्ता मनोहर देवी पिल ख0 श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी रूपनगढ जिला अजमेर ने मुझ अपीलान्ट के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिस्सा जो विसयत कर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की विसयत मुझ अपीलान्ट के पक्ष में बरूबरू मोतविरान निष्पादित कर दी थी वक्त विसयत रेस्पोडेन्ट नंबर 6 चन्दादेवी भी मौजूद थी उसके भी विसयतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये हैं।
- 3. यह है कि रेस्पोडेन्ट नं0 6 चन्दा देवी को वखूवी जानकारी होते हुए भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहरीदेवी का नामान्तरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20-07-2023 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 से मिलीभगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट नंबर 6 को पता था कि मेरी माता मनोहरी देवी ने दिनांक 27-01-2019 को बमोजूदगी चन्दादेवी विसयत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहरीदेवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद रेस्पोडेन्ट सं0 6 के खंडान में होते हुए भी रेस्पोडेन्ट सं0 6 चन्दा देवी ने मुझे अपीलान्ट को बि ना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था उक्त नामान्तरणकरण को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो अपीलन्ट के हक हिस्से 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है।
- 4. यह है कि अपीलान्ट ने अपनी विसयत पटवार हल्का रूपनगढ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रूपनगढ ने बताया कि इस वक्त मनोहरीदेवी के नाम खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में भूमि नही है मनोहरदेवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दादेवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैंने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23-08-2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर गयाद पेश है।

- 5. यह है कि अपीलान्ट के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वसियतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण सं0 7144 दिनांक 20-7-2023 खारिज किये जाने योगय है।
- 6. यह है कि अपीलान्ट उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार विरायत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की अपीलान्ट अधिकारी है।
- यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।
- यह है कि अपील की कोर्ट फीस नियमानुसार पेश है।
- 9. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भूगिवारी होने से रेस्पोडेन्ट सं0 4 नायव तहसीलदार उप पंजीयक होने से य रेस्पोडेन्ट सं0 4 पटवारी हत्का रेकर्ड का संस्थाक व संधारक होने से प्रक्षकार अपील रेस्पोडेन्ट बनाये गये है।

अता अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि पटवारी हल्का रूपनगढ़ द्वारा भरा गया नागानतरकरण सं० 7144 दिनांक 13-07-2023 जो सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगढ़ व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 20-07-2023 को स्वीकृत किया गया है जो अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा कर नामानतरकरण सं० 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जावे व विधि अनुसार अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण भरवाने के आदेश फरमावे व रेरपोडेन्ट सं० 1 से 6 को जरिये स्थाई निषेधाझा पावद फरमावे कि राजस्व रेकर्ड व मोके की यथारिधति वनाये रखे।

दिनांक

# श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

## न्यायालय, रूपनगढ जिला अजमेर

प्रार्थी – संतोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी मकराना तहसील मकराना जिला– डीडवाना–कुचामन राजस्थान

#### वनाम

अप्रार्थीगण -

- 1- सरपंच , ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 2- ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 3- तहसीलदार साहव, रूपनगढ जिला अजमेर
- 4- नायव तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर
- 5- पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ जिला अजमेर
- 6- चन्दादेवी पुत्री कन्हैयालाल पिला विष्णु जाति ब्राहमण निवासी बडी खाटू तहसील डेगाना जिला- नागौर

## प्रार्थना पात्र वावत अरथाई निषेघाज्ञा

मान्यवर जी,

प्रार्थी की ओर से निम्नवत प्रार्थना पत्र पेश है -

 यह है कि प्रार्थी ने मजवूत विनाय पर व ठोस आधारो पर उक्त अनवान की अपील माननीय न्यायालय में पेश की है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है।

- यह है कि वाके ग्राम रूपनगढ जिला अजमेर की राजस्य सीमा में स्थित खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 रकबा 1.6988 हेक्टर रिथत है। जिसमें जिरेये विसयत प्रार्थी का 1/6 हिस्सा आया हुआ है।
- 3. यह है कि पेरा नंबर 1 में अकित आराजी प्रार्थी का दिनांक 27-01- 2019 को निरुष्पादित विसयत नामा जो विसयतकर्ता मनोहर देवी पिल स्व० श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी रूपनगढ जिला अजमेर ने मुझ प्रार्थी के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिरसा जो विसयत कर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की विसयत मुझ प्रार्थी के पक्ष में वरूवरू मोतविरान निष्पादित कर दी थी वक्त विसयत अप्रार्थी नंबर 6 चन्दादेवी भी मौजूद थी उसके भी विसयतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये है।
- 4. यह है कि अप्रार्थी नं0 6 चन्दा देवी को वखूबी जानकारी होते हुए भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहरीदेवी का नामान्तरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण सख्या 7144 दिनांक 20-07-2023 को अप्रार्थी रां0 1 व 2 से मिलीनगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि अप्रार्थी नंबर 6 को पता था कि मेरी माता मनोहरी देवी ने दिनांक 27-01-2019 को बमोजूदमी चन्दादेवी विसयत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहरीदेवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद अप्रार्थी रां0 6 के सज्ञान में होते हुए भी अप्रार्थी सं0 6 चन्दा देवी ने मुझे प्रार्थी को बि ना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था उक्त नामान्तरणकरण को अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो प्रार्थी के हक हिरसे 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है।
  - 5. यह है कि प्रार्थी ने अपनी विसयत पटवार हल्का रूपनगढ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रूपनगढ ने बताया कि इस वक्त मनोहरीदेवी के नाम खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में भूमि नही है मनोहरदेवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दादेवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैंने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरूद्ध

होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23-08-2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद पेश है।

- 6. यह है कि प्रार्थी के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा विसयतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण सं0 7144 दिनांक 20-7-2023 खारिज किये जाने योग्य है।
- 7. यह है कि प्रार्थी उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार बसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम दिधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रूपनगढ़ के खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में गलत नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी सं0 6 उक्त आराजी के बेचान रहन, बगसीस या अन्य प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करे अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज अप्रार्थी सं0 3 व 4 के समक्ष पेश होने पर पंजीयन नहीं करे अप्रार्थीगण मोके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

दिनांक

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

न्यायाल, रूपनगढ

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

सन्तोषदेवी

बनाम सरपंच ग

सरपंच, ग्राग पंचायत रूपनगढ

वगेरह

# प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा

### शपथ - पत्र

मैं सन्तोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि –

- 1- मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि सलंग्न प्रार्थना पत्र अखाई निषेधाज्ञा के पेरा सं0 1 से 7मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है।
- 2- मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि इस शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का ही भाग समझा जावे।

दिनाक

### तस्दीक

मैं सन्तोषदेवी सशपथ तस्दीक करती हूं कि उपरोंक्त शपथ पत्र की तमाम इयारत मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें कुछ भी असत्य नहीं है नां छिपाया है ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक